अध्याय 7
कृषि और ग्रामीण विकास

रा.रा.क्षे.दिल्ली में तीव्र शहरीकरण और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण कृषि गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं। ग्रामीण गांवों की संख्या भी कम हो रही है और यह संख्या 1981 में 214 से घटकर 2019 की अधिसूचना में 35 हो गई है।

1.1 दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण में 2011–12 के मूल्यों पर कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अधिक स्पष्ट करें, तो दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत की तुलना में 2023–24 में घटकर 0.32 प्रतिशत रह गया।

2. जोतों का प्रकार

दिल्ली में कृषि जोत पद्धति और कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र के बारे में जानकारी पिछली कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार उपलब्ध है। दिल्ली में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार क्रियाशील कृषि जोतों की कुल संख्या में कृषि गणना 2010–11 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रियाशील कृषि जोत में 20.35 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 21.65 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह में है। 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार, दिल्ली में कुल क्रियाशील भूमि में 2010–11 की तुलना में कुल क्रियाशील भूमि में 2.21 प्रतिशत की कमी नजर आती है। क्रियाशील कृषि जोत के क्षेत्र में 27. 95 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 19.39 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह के लिए है।

3. दिल्ली में भूमि उपयोग का स्वरूप

कुल फसल क्षेत्र जो 2012–13 में 35178 हैक्टेयर था, वह 2023–24 में घट कर 33069 (अनुमानित) हैक्टेयर रह गया। दिल्ली के बाकी क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर–कृषि प्रयोजनों, जंगल, परती भूमि, जोती न जा सकने वाली भूमि आदि। दिल्ली में खेती के क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से हो रहा शहरीकरण और रोजगार शैली में बदलाव है। इससे दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है। दिल्ली में जमीन के उपयोग के स्वरूप के बारे में जानकारी तालिका 7.1 में दी गयी है।

4 फसल सघनता

4.1 फसल सघनता कृषि के विकास की सूचक है और इसका सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है। यह सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात है जो किसी कृषि वर्ष के दौरान एक ही क्षेत्र से कई फसलें उगाने को संदर्भित करता है। यदि एक वर्ष में एक फसल उगाई गई है तो फसल तीव्रता का सूचकांक 100 है। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। फसल सघनता का सुनिश्चित सिंचाई के साथ प्रत्यक्ष सह–संबंध है, जो किसानों को अधिक फसलें उगाने और उर्वरकों तथा अधिक पैदावार देने वाले (एचवाईवी) बीजों का

अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली में फसल सघनता के बारे में जानकारी विवरण 7.1 में दी गई है।

विवरण 7.1
2012–13 से 2023–24 के दौरान दिल्ली में फसल सघनता

(हैक्टेयर में)

क्र. सं.	वर्ष	विशुद्ध बुआई क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र	फसल सघनता (प्रतिशत)
1.	2012-13	23,118	35,178	152
2.	2013-14	23,150	34,312	148
3.	2014-15	23,150	34,312	148
4.	2015-16	23,150	34,312	148
5.	2016-17	23,150	34,750	150
6.	2017-18	23,050	34,700	150
7.	2018-19	22,300	33,455	150
8.	2019-20	23,150	34,750	150
9.	2020-21	29,241	43,569	149
10.	2021-22	29,000	47,850	165
11.	2022-23	21,700	32,984	152
12.	2023-24	21,900	33,069	151

* *(सब्जियों, फूलों की खेती को छोड़कर)*

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

चार्ट 7.1
दिल्ली में फसल सघनता

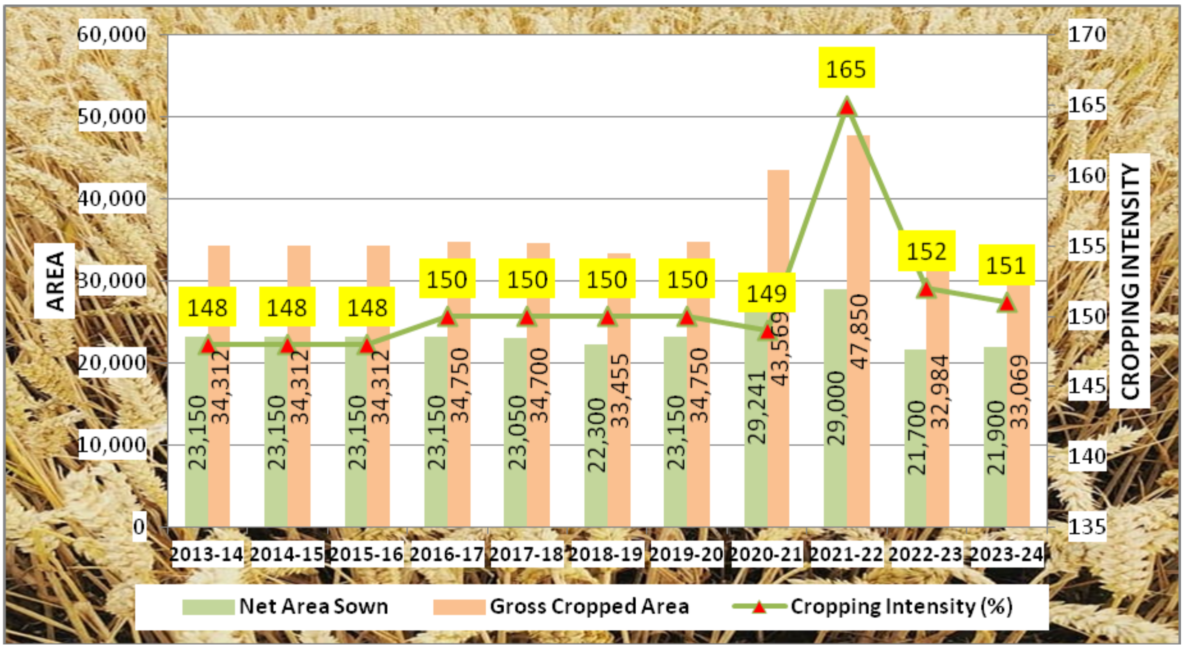

4.2 विवरण 7.1 से यह देखा जा सकता है कि फसल सघनता, वर्ष 2021–22 को छोड़कर, जिसमें यह 165 प्रतिशत थी, 150 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है।

5. फसल पद्धति

5.1 फसल पद्धति किसी जमीन पर बोई जाने वाली फसलों का क्रमिक संयोजन है। खरीफ में धान, ज्वार (चारा) तथा बाजरा और रबी में गेहूं तथा सरसों दिल्ली की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती पूरे वर्ष चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। 2022–23 के दौरान कुछ चुनी हुई फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज संबंधी जानकारी नीचे विवरण 7.2 में दी गई है।

विवरण 7.2
2022–23 में दिल्ली में फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

क्र सं.	फसल	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर)
1.	गेहूं	17,350	80,678	4,650
2.	जौ	50	200	4,000
3.	बाजरा	1,430	4,648	3,250
4.	मक्का	5,622	25,861	4,600
5.	धान	3,000	2,850	950

स्रोत :1. विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका, डीईएस, जीएनसीटीडी

5.2 विवरण 7.2 से यह देखा जा सकता है कि 2022–23 के दौरान दिल्ली में गेहूं उत्पादन की मुख्य खाद्य फसल थी।

5.3 वर्तमान में उच्च मूल्य–संवर्द्धित कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से आमदनी बहुत कम है। इसीलिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियां, फूल और मशरूम आदि उगाने के लिए प्रेरित कर रही है।

6. किसान प्रशिक्षण

किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र के कार्यक्रमों और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली प्रशिक्षण के अंतर्गत 2022–23 के दौरान आयोजित 41 प्रशिक्षण और प्रदर्शन शिविरों में 675 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. बागवानी/फूलों की खेती

7.1 बागवानी फलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम और फूलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख विविध गतिविधि है। बागवानी निदेशालय जागरूकता लाने के लिए योजनाएं चला रहा है और फूलों तथा सब्जियों की खेती, वर्मी–खाद, जैविक खेती आदि के बारे में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा है। 2022–23 में आयोजित 79 किसान गोष्ठियों में 1975 किसानों को बागवानी फूलों की खेती की नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। द्वारका, पटपड़गंज, हौजरानी, लिबासपुर, मसूदाबाद, चिल्ला और खड़–खड़ी नहर में नर्सरियां मुख्य रूप से सब्जियों के बीज तथा पौद, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, सजावटी फूलों के पौधों, औषधीय पौधों आदि के विकास/उत्पादन से संबंधित हैं। दिल्ली में 2022–23 और 2023–24 (नवंबर, 2023 तक) उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है:–

विवरण 7.3

बागवानी/फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र और पैदावार

क्र.सं.	मदों का ब्यौरा	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर 2023 तक)
1.	फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	6530	6054	6530	4292
2.	सब्जियों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	23500	23757	23500	18882
3.	फलों/सब्जियों की पैदावार (मी.टन में)	370500	371941	370500	209716
4.	ग्राम सभा/सामुदायिक/सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण (संख्या)	1000	1060	-	-

स्रोत : बागवानी यूनिट, पर्यावरण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

विवरण 7.4

बीजों, पौधों, पौध और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

क्र.सं	विवरण	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (नवम्बर 2023 तक)
1	सजावटी पौधे (संख्या में)	37000	32162	37000	20180
2	बलबस पौधों के बल्ब (संख्या में)	4000	6600	4000	-
3	फूलों की पौध (संख्या में)	300000	231550	300000	179200
4	फूलों के बीज (कि.ग्रा. में)	40	85800	40	20
5	सब्जियों की पौध (संख्या में)	600000	313046	600000	159220
6	सब्जियों के बीच (कि.ग्रा. में)	700	-	700	15
7	वर्मी कम्पोस्ट (कि.ग्रा. में)	40000	50380	400000	30525
8	औषधीय पौधे (संख्या में)	20000	11680	20000	13630

स्रोत : बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

7.2 दिल्ली में फसलों के क्षेत्र में निरंतर गिरावट के कारण, कम भूमि पर सब्जियों और हर्बल फसलों की खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाइड्रोपोनिक्स की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी तरह, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम–सीएसएस) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरंभ करने की योजना है। माह दिसंबर–2022 में केवीके उजवा के माध्यम से मधुमक्खी पालन पर जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

7.3 किसानों की आय तथा रोजगार बढ़ाने और बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरतें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में फलों और सब्जियों के लिए 'एकीकृत आपूर्ति शृंखला निर्माण' परियोजना को, ''एकीकृत विकास बागवानी मिशन'' के साथ एकीकृत किया गया है, जो दिल्ली में पहले से ही संचालित है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर तथा आसानी से सब्जियां और फल उपलब्ध कराना है।

8. मृदा परीक्षण और मृदा सुधार

रा.रा.क्षे.दिल्ली के किसानों के मृदा और जल नमूनों के परीक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण 7.5 में उल्लिखित लक्ष्यों के संदर्भ में 2022–23 और 2023–24 के दौरान (अक्टूबर, 2023 तक) हासिल गतिविधियाँ/मापदंड निम्न प्रकार हैं:

विवरण 7.5

मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

क्र.सं	गतिविधियाँ (संख्या में)	2022-23		2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर 2023 तक)
1.	मृदा नमूनों की जांच	400	674	400	510
2.	जल नमूनों की जांच	45	30	45	58
3.	जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड	400	615	400	1370

9. दिल्ली में सिंचाई

9.1 दिल्ली में सिंचाई मुख्य रूप से भूजल से और आंशिक रूप से सतही जल से होती है। भूजल से होने वाली सिंचाई उथले और गहरे सरकारी ट्यूबवैलों से होती है जबकि सतही जल से होने वाली सिंचाई कॉरोनेशन पिलर, ओखला और केशोपुर स्थित मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित पानी से होती है। पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का पानी भी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है।

9.2 दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान 2022 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी समूची दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव किया है। इसलिए भविष्य में सिंचाई क्षेत्र में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण तालिका 7.3 (परिशिष्ट) में दिया गया है :

चार्ट 7.2

दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

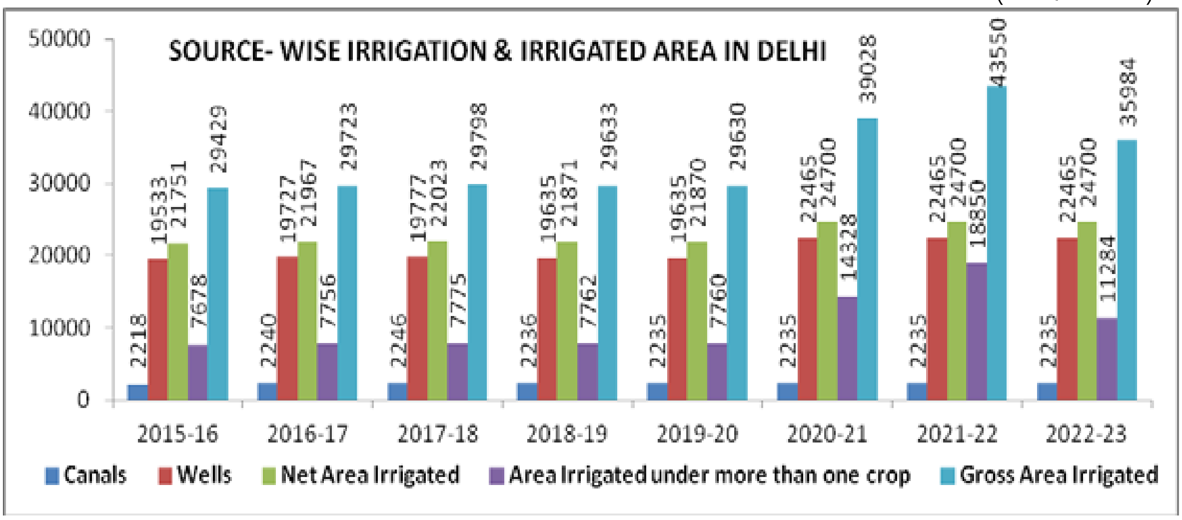

स्रोतः राजस्व और विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, डीईएस, रा.रा.क्षे.दि.स.

9.3 वर्षा भी दिल्ली में सिंचाई के अन्य मुख्य स्रोतों में से एक है। आम तौर पर, दिल्ली में वर्षा तीन महीनों, अर्थात् जुलाई, अगस्त और सितंबर में संकेंद्रित होती है। दिल्ली में पिछले तेरह वर्षों के दौरान विशेष रूप से जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में वर्षा का विवरण तालिका 7.4 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 7.3

दिल्ली में वर्षा (जुलाई से सितम्बर)

(मि.मी में)

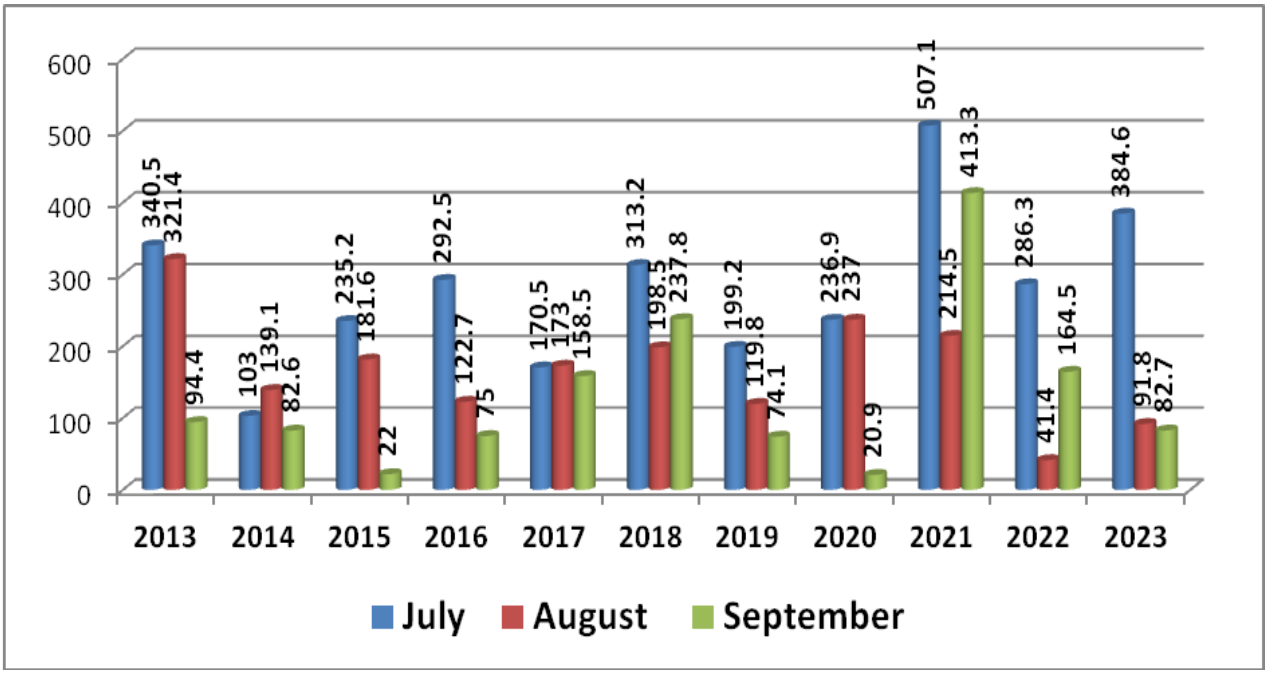

स्रोतः क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली और दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक

9.4 उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि 2021 के दौरान दिल्ली में बारिश तीनों महीनों के दौरान सामान्य से अधिक थी। हालांकि, 2014 और 2019 में इन तीनों महीनों के दौरान वर्षा सामान्य से कम हुई थी।

10. पशुधन

10.1 कृषि क्षेत्र में पशुधन एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करता है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें घरेलू पशुओं की देखभाल की जाती है जो मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के लिए भोजन और खाद्य उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजन/चारा/चरागाह भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण पशुपालन का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य बन गया है जिसमें अन्य राज्यों से पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की संख्या, 19वीं पशुधन गणना (2012) की 3,66,397 से घटकर 3,07,267 रह गई। वर्तमान में पशुपालन इकाई 78 पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों और प्रयोगशाला के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन और साथी जानवरों को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

10.2 2012 और 2019 के दौरान दिल्ली में पशुधन की गणना के बारे में जानकारी विवरण 7.8 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.8

दिल्ली में पशुधन और इसका विकास : 2012 और 2019

क्र.स.	पशुधन	पशुधन गणना (संख्या)		वृद्धि (%) / गिरावट (%)	
		2012	2019	2012–2019 के दौरान	प्रति वर्ष
1.	गाय	86,433	1,24,638	44.2	6.31
2.	भैंस	1,62,142	1,57,675	-2.75	-0.39
3.	भेड़	932	2,003	115	16.42
4.	बकरियां	30,470	17,085	-44	-6.28
5.	अन्य	86,420	5,866	-93	-13.28
	कुल	**3,66,397**	**3,07,267**	**-16.13**	**-2.30**

10.3 विवरण 7.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पशुधन में नकारात्मक वृद्धि (–16.13 %) दर्ज हुई है। पशुधन की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 16.42 प्रतिशत, भेड़ों में दर्ज हुई। इसी प्रकार, गायों के मामले में 6.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, अन्य मवेशियों में भी सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि –13.28 प्रतिशत वार्षिक दर्ज हुई, बकरियों में –6.28 प्रतिशत और भैंसों में –0.39 प्रतिशत नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पशुधन की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में गिरावट और दिल्ली में तेजी से शहरीकरण को माना जा सकता है।

11. पशु चिकित्सा सुविधाएं

11.1 दिल्ली में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशु औषधालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लिनिक हैं। मुख्य उद्देश्य संक्रामक/*संपर्गज* रोगों को नियंत्रित करना है जैसे हेमोरहाजिक सेप्टीसीमिया (गलघोटू) और मुंह तथा खुरपका, रेबीज आदि। पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। पालम स्थित रोग निदान प्रयोगशाला में पशु रोग निदान सुविधा उपलब्ध है। नमूनों की जांच निःशुल्क की जाती है। सरकारी पशु चिकित्सालय/औषधालय में उपचारित पशुओं की संख्या वर्ष 2011–12 की 4,15,986 से बढ़कर वर्ष 2022–23 के दौरान 5,49,198 हो गई जबकि सितंबर 2023 तक 2,87,792 पशुओं का उपचार किया गया। दिल्ली में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी विवरण 7.9 और 7. 10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण–7.9
दिल्ली में 2011–12 से 2023–24 के दौरान पशुचिकित्सा सेवाएं

क्र.सं.	वर्ष	पशुचिकित्सा केन्द्र (संख्या)				उपचारित पशु
		अस्पताल (एक पशुचिकित्सा पोली क्लिनिक सहित)	औषधालय	निजी क्लीनिक	प्रयोगशाला अनुसंधान केन्द्र	
1.	2011-12	46	28	250	2	415986
2.	2012-13	47	28	250	1	391152
3.	2013-14	47	28	---	-	378359
4.	2014-15	47	28	---	-	367518
5.	2015-16	47	28	---	2	412363
6.	2016-17	47	28	---	2	438504
7.	2017-18	49	26	---	2*	469474
8.	2018-19	49	26	---	2*	460769
9.	2019-20	48	29	---	2*	582242
10.	2020-21	48	29	---	2*	511562
11.	2021-22	48	29	---	2*	510999
12.	2022-23	48	29	---	2*	549198
13.	2023-24	48	29	---	2*	2,87,792 (सितंबर 2022 तक)

**1 प्रयोगशाला और 1 किसान सूचना केंद्र*

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

11.2 सुदूर क्षेत्रों में पशुओं के उपचार की सुविधा के लिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जिले में दो (02) मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक कार्यरत हैं। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय तीस हजारी में एक 24X7 आपातकालीन सेवां तथा वीएच गाजीपुर और वीएच पालम में पूर्वाह्न प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक दो सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

विवरण–7.10
भौतिक उपलब्धियां 2022–23 और 2023–24 के दौरान

क्र.सं.	गतिविधि	लक्ष्य 2022–23	उपलब्धि 2022–23	लक्ष्य 2023–24	उपलब्धि 2023–24 (सितम्बर 2023 तक)
1.	बीमार पशुओं का उपचार (लाख में)	6.00	5.49	6.00	2.88
2.	हैमरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी रोग से बचाव के टीके	एचएस–1.3 लाख (1 बार) एफएमडी–2.5 लाख (2 बार चालू छह महीने का अंतराल) ब्रुसेलोसिस–0.10 लाख	80,380 2,744 6,156	एचएस–1.53 लाख (1 बार) एफएमडी–2.5 लाख (छह महीने के अंतराल पर दो बार)	6,610 1,07,841 5,118
3.	एंटी रेबीज़ टीके डीएलएचपीपीआई टीके	1 लाख लागू नहीं	70,453 21364	1 लाख लागू नहीं	34,206 11,177
4.	गो–सदनों में रखे गए पशु	22000	16,650	22000	18,031
5.	बांझपन उपचार के मामले	25000	13,692	25,000	7,557
6.	प्रयोगशाला में जांच के मामले	-	1,915	5,000	1,291

स्रोत : पशु चिकित्सा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

12. स्वायत्त/सहायता अनुदान संस्थान

12.1 दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड (डीएडब्ल्यूबी)

डीएडब्ल्यूबी एसपीसीए के 11 जिलो के लिए पर्यवेक्षी निकाय है, यह उन्हें पूंजीगत कार्यों (जिला एसपीसीए कार्यालय भवनों और अस्पतालों का निर्माण) के लिए वित्त सहित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। डीएडब्ल्यूबी पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पालतू जानवरों की दुकानों और कुत्ते के प्रजनन और विपणन केंद्रों के पंजीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई)/डीएडब्ल्यूबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं/पशु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता बढ़ाने का भी प्रावधान है जो वास्तविक और व्यावहारिक रूप से पशु कल्याण गतिविधियों में शामिल हैं।

12.2 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए दिल्ली सोसायटी (एसपीसीए)

एसपीसीए, जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को लागू कर रहा है। तीस हजारी में डीएसपीसीए के तहत अस्पताल, जानवरों को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। डीएसपीसीए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत जब्त संपत्ति वाले जानवरों को भी रखता है। यह जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा के लिए जनता में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। 2022–23 के दौरान 12419 पशु मुक्त कराए गए, 122 वाहन जब्त किए गए और 10,72,060 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत सितंबर 2023 तक 2,389 पशुओं को बचाया गया, 48 वाहनों को जब्त किया गया और 2,95,200 रुपये एकत्र किए गए।

12.3 गौशाला/गौसदन

दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 1995 में 05 गौशालाओं/ गौसदनों की स्थापना की गई। वर्तमान में, चार गौसदन (1) श्री कृष्ण गौसदन, सुल्तानपुर डबास (2) गोपाल गौसदन, हरेवली (3) डाबर हरे कृष्णा गौसदन, सुरहेड़ा (4) मानव गौसदन, रेवला खानपुर काम कर रहे हैं और लगभग 18031 गायों और उनकी संतानों की देखभाल की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गौशालाओं/गौसदनों में मवेशियों के स्वास्थ्य के रखरखाव और पशुओं के उचित भोजन, पानी, आश्रय आदि के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों को प्रति दिन प्रति मवेशी 20/–रुपये की दर से सहायता अनुदान का भुगतान किया जाता है।

13 मछली पालन

13.1 मात्स्यिकी इकाई का कार्य पंजाब मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1914 और भारतीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों का नियमन करना तथा इसके विनाशकारी तौर–तरीकों और अंधाधुंध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। मछली के बीज और मछलियों के उत्पादन के बारे में वर्षवार जानकारी विवरण 7.11 में दी गयी है।

विवरण 7.11

दिल्ली में 2011–12 से 2022–23 तक मत्स्य–बीज और मछली उत्पादन

क्र.स.	वर्ष	मत्स्य–बीज उत्पादन (लाख)	मछली उत्पादन (टन)
1.	2011-12	13.00	740
2.	2012-13	15.25	690
3.	2013-14	18.25	680
4.	2014-15	16.20	675
5.	2015-16	16.20	710
6.	2016-17	16.15	740
7.	2017-18	20.00	801
8.	2018-19	2.02	785
9.	2019-20	15.00	860
10.	2020-21	--	758
11.	2021-22	--	725
12.	2022-23	--	339

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

13.2 तेजी से शहरीकरण के कारण दिल्ली में मत्स्य गतिविधियों में तेजी से कमी आई है। बायो–फ्लोक कल्चर, री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस), सजावटी मछली प्रजनन/खेती और पैदावार–परवर्ती कार्यों के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए उच्च तकनीक वाली मत्स्य गतिविधियों की पर्याप्त गुंजाइश है। इन गतिविधियों से किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इससे दिल्ली में स्थानीय युवाओं, मछुआरों, अजा/अजजा समुदायों और उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। तदनुसार, विभाग तालाब बायो–फ्लॉक (04) की लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं को लागू कर रहा है। बायो–फ्लॉक कल्चर सिस्टम 25 टैंक (01) और री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस) (01), समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के तहत चालू वर्ष 2023–24 में 382 मछुआरों का 5 लाख रुपये का बीमा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा किया गया है। सितंबर, 2023 तक 29 लाभार्थी विभिन्न चरणों में विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं।

14. ग्रामीण विकास

जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी था, जिसमें से दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र 369.35 वर्ग कि.मी. (24.91प्रतिशत) है । दिल्ली की 2.5 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही थी। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे प्रगतिशील अवस्था की ओर बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्र स्वतः ही शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, फलस्वरूप गांवों की संख्या और ग्रामीण आबादी कम हो जाती है। दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 से घटकर 2011 में 112 हो गई। पिछले सात दशकों के दौरान गांवों, ग्रामीण आबादी के बारे में जानकारी विवरण 7.12 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.12

दिल्ली की ग्रामीण आबादी 1951–2011

क्र.स.	वर्ष	गांव (संख्या)	जनसंख्या		
			ग्रामीण	कुल	कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
1	1951	304	3,06,938	17,44,072	17.60
2	1961	276	2,99,204	26,58,612	11.25
3	1971	243	4,18,675	40,65,698	10.30
4	1981	214	4,52,206	62,20,406	7.27
5	1991	199	9,49,019	94,20,644	10.07
6	2001	165	9,44,727	138,50,507	6.82
7	2011	112	4,19,042	167,87,941	2.50

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, डीईएस, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

15. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

15.1 कैबिनेट निर्णय संख्या 2520 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार दिनांक 20.12.2017 के आदेश द्वारा दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी) के स्थान पर 'दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी)' का गठन किया गया।

15.2 दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के सभी ग्रामीण और शहरी गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के बारे में वहां के निवासियों के अनुरोध पर निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/विधायकों) के साथ विचार करता है। यह परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में अनुशंसा करता है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं।

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ढांचागत खामियों का अध्ययन करना।

(ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार करना और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अनुशंसा करना।

(ग) कार्यों के स्वरूप और यदि कोई अतिव्यापकता हो तो उसकी जांच करना, ताकि सेवाओं के प्रावधान में सुधार लाया जा सके और जनशिकायतों का निबटारा शीघ्र हो सके।

(घ) समय–समय पर परियोजनाओं, योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में सरकार के संगठनों और विभागों के बीच प्रभावी समन्वय के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) डीवीडीबी द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में लाल डोरा क्षेत्रों के अंतर्गत सिजरा सड़कों तथा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निम्नांकित प्रकार के कार्यों की अनुशंसा की जाएगी, परंतु, किसी भी तरह की अनधिकृत कालोनियों और डीयूएसआईबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के बारे में बोर्ड अनुशंसा नहीं करेगा :

i) एप्रोच सड़कों/संपर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
ii) निकासी सुविधाओं का निर्माण।
iii) शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, ग्राम पुस्तकालय आदि का विकास।
iv) तालाबों और जल निकायों का विकास।
v) चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव।
vi) पेयजल सुविधा, गलियों में प्रकाश आदि जरूरतों के अनुरूप अन्य कार्य।

15.3 कार्य भूमिध्परिसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। कार्य उस निष्पादन एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसने इसे पहले किया था या किसी अन्य एजेंसी द्वारा भूमिध्परिसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसीधपिछली कार्यकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।

15.4 अब तक डीवीडीबी की नौ बैठकें हो चुकी हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित माननीय सांसदोंधविधायकों के परियोजना प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	29.12.2017	104	120.26
2.	19.01.2018	349	434.17
3.	12.02.2018	380	309.72
4.	13.04.2018	132	126.71
5.	23.05.2018	104	143.59
6.	23.08.2018	278	211.58
7.	14.12.2018	127	174.97
8.	11.01.2019	95	105.31
9.	09.10.2019	--	--
10.	28.06.2021	--	--
11.	21.12.2021	644	793.30
12.	07.07.2022	49	70.74
13.	25.01.2023	273	392.84
14.	25.05.2023	242	443.58
15.	28.08.2023	284	245.13
	कुल	3,061	3,571.90

स्रोतः विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

15.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, आईडीआरयूवी योजना के लिए आरडी यूनिट को 127 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। प्रमुख शीर्ष 4515 के तहत और प्रमुख शीर्ष 2515 के तहत, आरडी यूनिट ने 2023–24 (31.10.2023 तक) के दौरान 412.92 करोड़ रुपये की राशि की 364 परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी दी। 2023–24 (31.10.2023 तक) में निष्पादन एजेंसियों को 355 परियोजनाओं के लिए कुल 103.28 करोड़ रुपये की राशि और पिछले वर्ष की परियोजना के लिए 16 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया।

16. ग्राम विकास समितियां (वीडीसी)

गांवों में उपलब्ध सुविधाओं, अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए आधार सर्वेक्षण करने में डीवीडीबी की सहायता करने और समग्र विकास की आवश्यकता वाले ग्रामीण/शहरी गांवों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, डीवीडीबी द्वारा दिल्ली के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी गांव के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसीज़) का गठन कर सकता है। माननीय विधायकों की विधिवत अनुशंसा पर डीवीडीबी के अनुमोदन के बाद ग्राम विकास इकाई द्वारा अभी तक 349 समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अध्याय एक नज़र में

➢	दिल्ली के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 0.32 प्रतिशत रह गया।
➢	दिल्ली में कुल सकल फसल क्षेत्र 2023–24 में घटकर 33069 (अनुमानित) हेक्टेयर रह गया जो 2012–13 के दौरान 35178 हेक्टेयर था। दिल्ली के शेष क्षेत्रों का उपयोग विभिन्न अन्य उपयोगों जैसे गैर–कृषि उद्देश्यों, जंगल, परती भूमि, बंजर भूमि आदि के लिए किया जा रहा है।
➢	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा केंद्र के प्रोग्रामर्स और फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पराली प्रशिक्षण के तहत, 2022–23 के दौरान आयोजित 41 प्रशिक्षण और प्रदर्शन शिविरों में 675 किसानों ने प्रशिक्षण प्रदान किया।
➢	2022–23 में आयोजित 79 किसान गोष्ठियों में 1975 कसानों को बागवानी/फूलों की खेती की नवीनतम तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया।
➢	दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 से घटकर 2011 में 112 रह गई।